प्रेस नोट

दिनांक-15.11.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

"मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके छेडछाड व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर करावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधो में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिगं सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर "**मिशन शक्ति**" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 194/21 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना पीपरपुर मे अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ भुल्लर कोरी पुत्र हीरालाल नि0 नरायनपुर मौजा अग्रेसर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को दिनांक 14.11.2022 को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त करावास की सजा सुनाई गयी एंव धारा 354क,7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रु0 अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 01 माह का साधारण कारावास व 1000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 09.11.2021 को समय 16:14 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी के नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ भुल्लर कोरी पुत्र हीरालाल नि0 नरायनपुर मौजा अग्रेसर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी द्वारा धमकी देकर छेड़छाड़ करने से संबंधित सूचना पर मु0अ0सं0 194/21 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना पीपरपुर पर पंजीकृत होकर उ0नि0 श्री प्रेमचन्द्र गौतम द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-222 दिनांक 17.12.21 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गई।